IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE
BHOJPUR AT ARA

Presiding Officer- Sri Purushottam Mishra

Probate No.52 of 2026

Tasneem Jamil Vs State Of Bihar

Date of Order Proceeding	Order with Signature of the Court	Office action taken with date
07.08.2026	आवेदक की पैरवी है। वाद पुकारा गया है। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को मेंटेनेबल के बिन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा यह वाद धारा–276,धारा–264 भारतीय उतराधिकार अधिनियम –1925 के अंतर्गत दाखिल किया गया है और प्रार्थना किया गया है। आवेदक के पक्ष में उतराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कृपा किया जाए। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मुस्लिम वर्ग के है जो मुस्लिम धर्म की वसीयत और उतराधिकार मोहम्मडन कानून के तहत शासित होते है, मुस्लिम धर्म में भारतीय उतराधिकार अधिनियम –1925 के अंतर्गत उतराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कोई प्रावधान नही है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम –1925 की धारा–58 के तहत **(1) The provisions of this Part shall not apply to testamentary succession to the property of any Muhammadan nor, save as provided by section 57, to testamentary succession to the property of any Hindu, Buddhist Sikh or Jain; nor shall they apply to any Will made before the first day of January, 1866.** **(2) Save as provided in sub-section (1) or by any other law for the time being in force the provisions this Part shall constitute the law of India applicable to all cases of testamentary succession.** उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के विचारोपरान्त आवेदक द्वारा दाखिल वाद पोषणीय नहीं है। मुस्लिम धर्म में भारतीय उतराधिकार अधिनियम –1925 के अंतर्गत उतराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कोई प्रावधान नही है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल वाद को मेंटेनेबल के बिन्दु पर खारिज किया जाता है। कार्यालय अग्रिम कारवाई उपरान्त अभिलेख अभिलेखागार मे सचित करे। पुरूषोत्तम मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश	